राजस्थान राज्य

बनाम

छितरमल

21 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन,न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860-धारा।304 ए- संरक्षण-कब उपलब्ध

निर्धारित- धारा 304 ए में मृत्यु कारित करने का न तो इरादा होना चाहिए और न ही ज्ञान-जब इन दो तत्वों में से कोई भी मौजूद हो तब धारा 304 ए लागु नही।

दंड संहिता, 1860-धारा 304 ए और 302-नग्न जीवित बिजली के तार के संपर्क में आने पर करंट लगने से मौत-मृतक को मारने के इरादे से प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से लगाए गए बिजली के तार- आरोपी का बचाव कि उसने जंगली जानवरों को अपने खेत में जाने से रोकने के लिए तार लगाया-तथ्यों के अनुसार, निर्धारित:-बचाव कथ्य संभावित था-अभियोजन धारा 302 के आरोप को सिद्ध करने में विफल-उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 304 ए के अधीन दोष सिद्ध करना सही।

पी. डब्ल्यू. 13 के पिता के साथ-साथ भाई की भी बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो गई, जब वे नग्न जीवित बिजली के तार के संपर्क में

आए।बिजली के तार को कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा पीडब्लू 13 के पिता को मारने के इरादे से लगाया गया था।

निचली अदालत ने प्रतिवादी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को धारा 304 ए में बदल दिया।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में, यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है तथा उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अनुरूप प्रत्यर्थी धारा 304 ए के तहत नहीं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने निर्धारत किया-

1.1. धारा 304A, आई. पी. सी. लापरवाही के कारण होने वाली मौत से संबंधित है।यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जहां मृत्यु कारित करने का कोई आशय तथा ज्ञान नहीं है कि सभी संभावनाओं में किया गया कार्य मृत्यु का कारण बनेगा।यह प्रावधान आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 के दायरे से बाहर के अपराधों से संबंधित है। यह केवल ऐसे कार्यों पर लागू होता है जो जल्दबाजी और लापरवाही का परिणाम होते हैं और सीधे इसके कारण मृत्यु होती हैं।जल्दबाजी और लापरवाही धारा 304 ए के तहत आवश्यक तत्व हैं। यह एक विशिष्ट अपराध को दर्शाता है जहां मौत जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य के कारण होती है, और वह कार्य आई. पी. सी. की धारा 299 के तहत गैर-इरादतन हत्या या

धारा 300 में हत्या के बराबर नहीं है। किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से कोई कार्य करना या यह जानना कि कोई कार्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, गैर-इरादतन हत्या है।जब आशय या ज्ञान अधिनियम की प्रत्यक्ष प्रेरक शक्ति है, तो आई. पी. सी. की धारा 304 ए को गैर-इरादतन हत्या के गंभीर और अधिक गंभीर आरोप के लिए जगह बनानी होगी।[पैरा 9]

1. 2.धारा 304 ए के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए न तो इरादा होना चाहिए और न ही मृत्यु का कारण बनने का ज्ञान होना चाहिए।जब इन दो तत्वों में से कोई भी मौजूद पाया जाता है, तो धारा 304 ए का कोई अनुप्रयोग नहीं होता है।सी [पैरा 10]

2. प्रतिवादी का बचाव यह था कि जंगली जानवरों को उसके खेत में जाने से रोकने के लिए उसने तार लगा दिया था।प्रतिरक्षा की संभावना कई कारकों से उत्पन्न होती है; सबसे पहले दो खंभे रखे गए थे जिन पर तार को लगाया गया था।वास्तव में इस पहलू पर विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से ध्यान दिया गया है, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल लकड़ी के खंभे होने के कारण बचाव पक्ष की दलील स्थापित नहीं हुई कि इसका उद्देश्य जंगली जानवरों को दूर रखना था।उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने खुद स्वीकार किया कि दो छड़ें लगाई गई थीं।लकड़ी की छड़ियों को भी जब्त किया गया था, जिसे निचली अदालत ने भी स्वीकार किया था।ई उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विश्लेषण को

देखते हुए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप स्थापित करने में सक्षम नहीं है और उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत आरोपी को सही तरीके से दोषी ठहराया है। [पैरा 11,12 और 13]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2001 की आपराधिक अपील संख्या 477

डी. बी. आपराधिक अपील सं. 786/1998 में में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर के न्यायिक निर्णय और आदेश के विरुद्ध

नवीन सिंह (अरुणेश्वर गुप्ता अपीलार्थी) के लिए।

प्रत्यर्थी के लिए के. के. गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय द्वारा डॉ० अरिजीत पसायत न्यायाधीश-

1.इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ की एक खंड पीठ द्वारा दिए गये फैसले को दी गई है जिसमे प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 302 के तहत दंडनीय से बदलकर आई. पी. सी. की धारा 304 ए कर दिया। दो साल के कठोर कारावास और Rs.5000/- जुर्माना व्यतिक्रम पर आदेश के अधीन से दण्डित किया गया था।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः

श्री गिरधारी (पीडब्लू-13) ने एस. एच. ओ., पी. एस. थोई, जिला सीकर को इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 1 मार्च, 1997 की दरम्यानी रात को उनके पिता राम कुमार (इसके बाद 'मृतक'के रूप में संदर्भित) सिंचाई के लिए अपने खेत में गए थे।शत्रुता के कारण आरोपी छित्तर ने राम कुमार को मारने के इरादे से बाड़ के पास नग्न बिजली के तार लगाए थे।जब रात में राम कुमार बिजली के तार के संपर्क में आए तो करंट लगने से उनकी मौत हो गई।लगभग 3.15 बजे शिकायतकर्ताओं के छोटे भाई मुरलीधर अपने पिता को चाय देने गए और उनकी भी करंट लगने से मौत हो गई।कुछ समय बाद शिकायतकर्ता सुआ लाल के चाचा ने राम कुमार और मुरलीधर के शवों को खेत में पड़ा देखा, उन्होंने शोर मचाया।शिकायतकर्ता और अन्य पड़ोसी वहाँ पहुँच गए।उस समय छित्तर ने बिजली के खंभे से तार निकाला और घटना स्थल से तार हटाने की कोशिश की, लेकिन वहां इकट्ठे हुए लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 के अधीन (एफ. आई. आर. 29/97) मामला दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी तुरंत घटना स्थल पर गए, पंचनामा, नक्शा मौका तैयार की और तार को जब्त कर लिया गया।चिकित्सा अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम किया गया।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राम कुमार और मुरलीधर की मौत का कारण करंट लगना था।उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।जाँच पूरी करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना की अदालत में आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक आरोप पत्र

दायर किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अन्वीक्षा के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।इस मामले की सुनवाई विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नीम का थाना द्वारा की गई थी।

3. विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किया, जिसने आरोप से इनकार किया और अन्वीक्षा चाही।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की और कई दस्तावेजों का हवाला दिया।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान (संक्षेप में 'दं. प्र. सं.') दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।वह खेत में खेती नहीं कर रहा था। घटना से संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाह शिकायतकर्ता से निकटता से संबंधित हैं। प्रत्यर्थी ने अपने बचाव में फूल चंद (डी. डब्ल्यू. -1)को परीक्षित कराया।

5. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर,निष्कर्ष दिया कि राम कुमार और उनके बेटे मुरलीधर को मारने के इरादे से शत्रुता के कारण, आरोपी छित्तर ने राम कुमार और छित्तर के खेत के बीच के खेत में पानी की आपूर्ति के लिए नाली पर बिजली के नग्न तार लगाए, जिसके परिणामस्वरूप रात में जब राम कुमार अपने खेत में गया तो बिजली के करंट से उसकी मौत हो गई।जब मुरलीधर अपने पिता को चाय देने गए तो वे भी बिजली के तार के संपर्क में आ गए और

उनकी मौके पर ही मौत हो गई।इस निष्कर्ष पर उन्होंने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और ऊपर उल्लिखित सजा सुनाई।

6. उच्च न्यायालय ने पाया कि उचित दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत होगी न कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत, जैसा कि निचली अदालत ने माना था।

7. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में पूरे ज्ञान के साथ कि मृत्यु परिणामी होगा, अभियुक्त ने बाड़ में बिजली के तार लगाए थे और दो व्यक्तियों ने जीवित तार के संपर्क में आने के बाद अपनी जान गंवा दी थी।तार निकालने की कोशिश कर रहे आरोपी का आचरण उसकी मंशा और ज्ञान दोनों को दर्शाता है।इसलिए निचली अदालत ने प्रतिवादी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत सही दोषी ठहराया था।

8.प्रतिवादी अभियुक्त के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

9. धारा 304 ए की प्रयोज्यता की याचिका पर आते हुए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त प्रावधान लापरवाही के कारण हुई मृत्यु से संबंधित है।धारा 304 ए उन मामलों पर लागू होती है जहां मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं है और कोई ज्ञान नहीं है कि सभी संभावनाओं

में किया गया कार्य मृत्यु का कारण बनेगा।यह प्रावधान आई. पी. सी. की धारा 299 और 300 के दायरे से बाहर के अपराधों से संबंधित है। यह केवल ऐसे कार्यों पर लागू होता है जो जल्दबाजी और लापरवाही वाले होते हैं और सीधे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण होते हैं।धारा 304 ए के तहत जल्दबाजी और लापरवाही आवश्यक तत्व हैं। यह एक विशिष्ट अपराध का पता लगाता है जहां कि लापरवाही या उतावलेपन से मृत्यु हो जाती है और वह कार्य आई. पी. सी. की धारा 299 के तहत गैर-इरादतन हत्या या धारा 300 में हत्या के बराबर नहीं है। किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से कोई कार्य करना या यह जानना कि कोई कार्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, गैर-इरादतन हत्या है।जब आशय या ज्ञान अधिनियम की प्रत्यक्ष प्रेरक शक्ति है, तो आई. पी. सी. की धारा 304 ए को गैर इरादतन हत्या के एक अधिक गंभीर आरोप के लिए जगह बनानी होगी।

10. धारा 304 ए के तहत संरक्षण प्राप्त करने के लिए न तो इरादा होना चाहिए और न ही मृत्यु का कारण बनने का ज्ञान होना चाहिए।जब इन दो तत्वों में से कोई भी मौजूद पाया जाता है, तो धारा 304 ए प्रयोज्य नहीं होती है।

11.यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त का बचाव यह था कि उसने जंगली जानवरों को अपने खेत में जाने से रोकने के लिए तार लगाया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य

पर आधारित था और जिन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया वे इस प्रकार थींः

> "(1)।मृतक के साथ दुश्मनी; (2) राम कुमार और मुरलीधर के शव को देखकर जब सुआ लाल ने शोर मचाया तो आरोपी की उपस्थिति; (3) आरोपी ने सुआ लाल की उपस्थिति में बिजली के खंभे से बिजली का तार हटा दिया; (4) आरोपी ने घटना स्थल से तार हटाने की कोशिश की, लेकिन उस समय तक इकट्ठा हुए पड़ोसियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और (5) अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति।"

12.उच्च न्यायालय ने पाया कि तथाकथित न्यायिक स्वीकारोक्ति सिद्ध नहीं थी जबकि अन्य पहलू स्पष्ट रूप से स्थापित थे।प्रतिरक्षा की संभावना कई कारकों से उत्पन्न होती है; सबसे पहले दो पोल रखे गए थे जिन पर तार लगाया गया था।वास्तव में इस पहलू पर निचली अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से ध्यान दिया गया है, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल इसलिए कि लकड़ी के खंभे थे जो बचाव पक्ष की दलील को स्थापित नहीं करते थे कि इसका उद्देश्य जंगली जानवरों को दूर रखना था।उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने स्वयं स्वीकार किया कि दो छड़ें लगाई गई थीं।लकड़ी की छड़ियों को भी जब्त किया गया था, जिसे निचली अदालत ने भी स्वीकार किया था।

13. उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विश्लेषण को देखते हुए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आरोप सिद्ध करने में सक्षम नहीं है और उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत आरोपी को सही तरीके से दोषी ठहराया है।

14. तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

बी. बी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी रविन्द्र कुमार माहेश्वरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।